

# नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017



(2017 का अधिनियम संख्याक 22)

[9 अगस्त, 2017]

नावधिकरण अधिकारिता, जलयानों से संबंधित विधिक कार्यवाहियां,  
उनको बंदी बनाने, निरोध, विक्रय और उससे संबंधित या  
उसके आनुषंगिक अन्य विषयों के संबंध में  
विधियों का समेकन  
करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय 1

### प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ—**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह प्रत्येक जलयान को, स्वामी के निवास या अधिवास के स्थान को विचार में लाए बिना, लागू होगा :

परंतु यह अधिनियम अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में परिभाषित कोई अन्तर्देशीय जलयान या निर्माणाधीन कोई जलयान जिसे तब तक जल में नहीं उतारा गया है जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जलयान होने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है, को लागू नहीं होगा:

परंतु यह और कि यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी युद्धपोत, नौसेना सहायक या उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित अन्य जलयान को लागू नहीं होगा और किसी गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त और किसी ऐसे विदेशी जलयान पर भी लागू नहीं होगा जिसे किसी ऐसे गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. परिभाषाएं—**(1) इस अधिनियम में,—

(क) “नावधिकरण विषयक अधिकारिता” से इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समुद्री दावों की बाबत धारा 3 के अधीन किसी उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारिता अभिप्रेत है;

(ख) “नावधिकरण विषयक कार्यवाही” से समुद्री अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय के समक्ष लंबित कोई कार्यवाही अभिप्रेत है;

(ग) “बंदी बनाना” से समुद्री दावा को सुनिश्चित करना जिसके अंतर्गत किसी निर्णय या आदेश का निष्पादन या तृप्ति करते हुए जलयान का अभिग्रहण करना भी है, किसी उच्च न्यायालय के आदेश से किसी जलयान को हटाए जाने के लिए निरोध या निर्बंधन अभिप्रेत है;

(घ) “माल” से ऐसी संपत्ति, जिसके अंतर्गत जीवित पशु, आधान, रंग-पट्टिका या परिवहन या पैकिंग या सामान की ऐसी अन्य वस्तुएं, इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि ऐसी संपत्ति को जलयान के डेक पर या उसके नीचे वहन किया जाता है, आती हैं, अभिप्रेत है;

(ङ) “उच्च न्यायालय” से नावधिकरण विषयक कार्यवाही के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय या कोई अन्य उच्च न्यायालय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत है;

(च) “समुद्री दावा” से धारा 4 में निर्दिष्ट दावा अभिप्रेत है;

(छ) “समुद्री धारणाधिकार” से धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ड) में निर्दिष्ट जलयान के स्वामी, पट्टांतरण चार्टर, प्रबंधक या प्रचालक के विरुद्ध ऐसा कोई समुद्री दावा अभिप्रेत है जो इस धारा की उपधारा (2) के अधीन अस्तित्व में बना रहे;

(ज) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) “पत्तन” का वही अर्थ होगा जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) में उसका है;

(ञ) “विहित” से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) “राज्यक्षेत्रीय सागर खंड” का वही अर्थ होगा जो राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) में उसका है; और

(ठ) “जलयान” के अन्तर्गत कोई पोत, नाव, चलन जलयान या जलमार्ग से नौपरिवहन में उपयोग के लिए अन्य प्रकार का प्रयुक्त या सन्निर्मित जलयान चाहे वह चलित हो या नहीं, और जिसके अंतर्गत बार्ज, लाईटर या अन्य चालू जलयान, मंडराता हुआ जलयान, अपतटीय उद्योग मोबाइल यूनिट, जलयान जो ऐसा डूबा हुआ है या ऐसा जलयान जो तट पर ले जाया गया है या अभिव्यक्त है और ऐसे जलयान के अवशेष भी हैं।

**स्पष्टीकरण**—किसी जलयान को इस खंड के प्रयोजनों के लिए जब तक जलयान नहीं समझा जाएगा जब तक उसे ऐसे विस्तार तक विघटित न कर दिया जाता है कि वह सर्वेक्षक द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार, नौपरिवहन के लिए उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

## अध्याय 2

### नावधिकरण अधिकारिता और समुद्री दावे

**3. नावधिकरण अधिकारिता**—धारा 4 और धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी समुद्री दावों की बाबत अधिकारिता संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित होगी और सागर खंडों और जिनके अंतर्गत इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार उसकी अपनी-अपनी अधिकारिता के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड भी है, पर प्रयोक्तव्य होगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 2 में यथा परिभाषित सीमा तक उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी।

**4. समुद्री दावा**—(1) उच्च न्यायालय निम्नलिखित के कारण किसी जलयान के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले किसी समुद्री दावे के संबंध में किसी प्रश्न की सुनवाई और उसके अवधारण की अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा—

(क) किसी जलयान के कब्जे या स्वामित्व या उसमें किसी शेरर के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद;

(ख) किसी जलयान के सह-स्वामियों के बीच जलयान के नियोजन या उपार्जन के विषय में कोई विवाद;

(ग) किसी जलयान के संबंध में उसी प्रकृति के किसी बंधक या प्रभार;

(घ) किसी जलयान के प्रचालन से कारित हानि या नुकसानी;

(ङ) किसी जलयान के प्रचालन के प्रत्यक्ष संबंध में जीवन हानि या व्यक्तिगत क्षति, चाहे वह भूमि पर या जल में हुई हो;

(च) किसी माल को या उसके संबंध में हानि या नुकसानी;

(छ) किसी जलयान के फलक पर माल या यात्रियों के वहन से संबंधित करार, चाहे वे भाड़े पर पोत लेने की संविदा में अंतर्विष्ट हो या अन्यथा;

(ज) जलयान का उपयोग करने या भाड़े पर लेने के संबंध में कोई करार, चाहे वह भाड़े पर पोत लेने की संविदा में अंतर्विष्ट हो या अन्यथा;

(झ) उद्धारण सेवा जिसके अंतर्गत, किसी जलयान की बाबत उद्धारण सेवा संबंधी विशेष प्रतिकर जो स्वयं द्वारा या उसके स्थोरा से पर्यावरण की नुकसान की आशंका है, भी है, यदि लागू हो;

(ञ) अनुकर्षण;

(ट) यान मार्गदर्शन;

(ठ) ऐसे यान को, उसके प्रचालन, प्रबंध, परिरक्षण या रखरखाव जिसके अंतर्गत संदेय या उद्ग्रहणीय फीस भी है, के लिए प्रदाय की गई सामग्री, विनश्वर या अनश्वर भंडार, बंकर ईंधन, उपस्कर (जिसके अंतर्गत आधान भी है) या दी गई सेवाएं;

(ड) जलयान का सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, संपरिवर्तन सज्जित करने;

(ढ) किसी पत्तन, बंदरगाह, नहर, डॉक या प्रकाशमार्ग पथकर, अन्य पथकर, जलमार्ग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसी प्रकार के प्रभार्य कोई प्रभार के संबंध में शोध्य;

(ण) मजदूरी या मजदूरी में से कोई शोध्य राशि या अधिनिर्णीत किया जाने वाला शोध्य जो उनकी ओर से संदेय मजदूरी या प्रत्यावर्तन की लागत या सामाजिक बीमा अंशदान के रूप में वसूलनीय हो या किसी ऐसी रकम जिसे एक कर्मचारी के रूप में किसी व्यक्ति को संदाय करने की किसी नियोजक की बाध्यता है, चाहे ऐसी बाध्यता तत्समय प्रवृत्त नियोजन की संविदा के कारण या विधि के प्रवर्तन द्वारा (जिसके अंतर्गत किसी देश की विधि का प्रवर्तन भी है) उत्पन्न बाध्यता हो या नहीं और इसके अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 और धारा 151 के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी जलयान से संबंधित प्रबंधन और चालक कर्मिदल करार के अधीन उत्पन्न होने वाला कोई दावा भी है, के लिए जलयान के मास्टर या कर्मिदल के सदस्य या उसके वारिसों तथा उसके आश्रितों द्वारा किया गया दावा;

(त) जलयान या उसके स्वामियों की ओर से उपगत संवितरण;

(थ) विशिष्ट औसत या साधारण औसत;

(द) जलयान के विक्रय के लिए किसी संविदा से उद्भूत विवाद;

(ध) जलयान की बाबत बीमा प्रीमियम (जिसके अंतर्गत पारस्परिक बीमा मांगे भी हैं जो जलयान के स्वामियों या पट्टांतरण चार्टररों द्वारा या उनकी ओर से संदेय हों);

(न) जलयान के स्वामी या पट्टांतरण चार्टरर द्वारा या उनकी ओर से जलयान की बाबत संदेय कोई कमीशन, दलाली या अभिकरण फीस;

(प) पर्यावरण, तटरेखा या संबद्ध हितों को जलयान द्वारा कारित नुकसानी या नुकसानी की आशंका; ऐसी नुकसानी को रोकने, न्यूनतम रखने या हटाने के लिए किए गए उपाय; ऐसी नुकसानी के लिए प्रतिकर; वास्तविक रूप से किए गए या किए जाने वाले पर्यावरण के पुनःस्थापन के लिए युक्तियुक्त उपायों की लागत; ऐसी नुकसानी के संबंध में तृतीय पक्षकारों द्वारा उपगत या उपगत होने के लिए संभाव्य हानि; या ऐसी कोई अन्य नुकसानी, लागत या वैसी ही प्रकृति की हानि जो इस खंड में परिलक्षित है;

(फ) ऐसे जलयान को उठाने, हटाने, प्रत्युद्धृत करने, नष्ट करने या अहानिकर बनाने, जो डूब गया है, विध्वंसित, उत्कूलित या परित्यक्त हो गया है जिसके अंतर्गत ऐसी कोई चीज भी है जो ऐसे जलयान के फलक पर है या रही है, से संबंधित लागत या व्यय और परित्यक्त जलयान के परिरक्षण और उसके कर्मिदल के रखरखाव से संबंधित लागतें या व्यय; और

(ब) समुद्रीय धारणाधिकार ।

**स्पष्टीकरण**—खंड (थ) के प्रयोजनों के लिए “विशिष्ट औसत” और “साधारण औसत” पदों का वही अर्थ होगा जो समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 11) की धारा 64 की उपधारा (1) और धारा 66 की उपधारा (2) में क्रमशः उनके हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय जलयान के संबंध में पक्षकारों के बीच परादेय तथा अपरिनिर्धारित किसी हिसाब को तय कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि जलयान या उसका कोई हिस्सा विक्रय कर दिया जाएगा या ऐसा अन्य आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) जहां उच्च न्यायालय किसी जलयान के विक्रय किए जाने का आदेश देता है, वहां विक्रय के आगमों के हक के बारे में उत्पन्न होने वाले प्रश्न को सुन सकेगा और उसका अवधारण कर सकेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी जलयान को बंदी बनाए जाने के लिए किए गए आदेश या विक्रय के लिए किसी जलयान का कोई आगम, नावधिकरण कार्यवाही के अंतिम परिणाम आने तक किसी दावे के संबंध में प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा ।

**5. जलयान का बंदी बनाया जाना**—(1) उच्च न्यायालय किसी ऐसे जलयान को बंदी बनाने के लिए आदेश कर सकेगा जो ऐसे समुद्री दावे के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए उसकी अधिकारिता के भीतर हो, जो किसी नावधिकरण की कार्यवाही का विषय, वहां हो, जहां न्यायालय के पास निम्नलिखित विश्वास करने का कारण है कि,—

(क) वह व्यक्ति, जो समुद्री दावा उद्भूत होने के समय जलयान का स्वामी था, दावे के लिए दायी है और बंदी बनाए जाने के समय जलयान का स्वामी है; या

(ख) वह समुद्री दावे के उद्भूत होने के समय जलयान के पट्टांतरण चार्टरर दावे के लिए दायी है और जलयान को बंदी बनाए जाने के समय जलयान का पट्टांतरण चार्टरर या स्वामी है; या

(ग) दावा जलयान पर बंधक या समरूप प्रकृति के प्रभार पर आधारित हो; या

(ध) दावा जलयान के स्वामित्व या कब्जे से संबंधित हो; या

(ड) दावा जलयान के स्वामी, पट्टांतरण चार्टरर, प्रबंधक या प्रचालक के विरुद्ध है और धारा 9 में यथा उपबंधित समुद्री धारणाधिकार द्वारा प्रतिभूत है।

(2) उच्च न्यायालय ऐसे जलयान के बदले में, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के अधीन समुद्री दावा किया गया हो, समुद्री दावे के विरुद्ध प्रतिभूति उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किसी अन्य जलयान को बंदी बनाए जाने के लिए भी आदेश कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई जलयान, धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन समुद्री दावे की बाबत इस उपधारा के अधीन, बंदी नहीं बनाया जाएगा।

**6. व्यक्तिबंदी नावधिकरण की अधिकारिता**—धारा 7 के अधीन, उच्च न्यायालय धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ब) में निर्दिष्ट किसी समुद्री दावा की बाबत व्यक्तिबंदी कार्रवाई द्वारा नावधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा।

**7. कतिपय मामलों में व्यक्तिबंदी कार्रवाइयों पर निर्बन्धन**—(1) जहां निम्नलिखित में से उद्भूत कोई नुकसानी या जीवन हानि या वैयक्तिक नुकसानी की बाबत उद्भूत कोई समुद्री दावा—

(i) जलयानों के बीच टक्कर से;

(ii) एक या अधिक जलयानों की दशा में रक्षा चालें चलने का पालन करने या पालन नहीं करने से;

(iii) एक या अधिक जलयानों के भाग पर टक्कर के संबंध में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 285 के अनुसरण में बनाए गए टक्कर विनियमों के अननुपालन से,

उच्च न्यायालय किसी प्रतिवादी के विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाही को तब तक ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि—

(क) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः भारत में उद्भूत न हुआ हो; या

(ख) ऐसा प्रतिवादी, उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही के प्रारंभ के समय, भारत में वास्तविक रूप से और स्वेच्छया निवास नहीं करता है या कारबार नहीं करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है:

परन्तु यह कि किसी ऐसे मामले में जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और जहां उन प्रतिवादियों में से एक प्रतिवादी जो भारत में वास्तविक रूप से या स्वेच्छया निवास या कारबार या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कारबार नहीं करता है, ऐसी कार्रवाई के लिए न्यायालय की अनुमति से या ऐसी कार्रवाई में प्रत्येक प्रतिवादी की मौन स्वीकृति से मामले में कार्रवाई पर विचार किया जा सकेगा।

(2) उच्च न्यायालय किसी ऐसे दावे को प्रवृत्त करने के लिए किसी व्यक्तिबंदी कार्रवाई पर विचार नहीं करेगा जिसको यह धारा लागू होती है जब तक कि भारत के बाहर उसी प्रतिवादी के विरुद्ध किसी न्यायालय में उसी प्रसंगति या प्रसंगतियों की शृंखला के बारे में वादी द्वारा पहले लाई गई कोई कार्यवाही बंद कर दी गई है या अन्यथा समाप्त हो गई है।

(3) उपधारा (2) के उपबंध प्रतिदावों को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उसी प्रसंगति या प्रसंगतियों की शृंखला से उद्भूत कार्यवाहियों में प्रतिदावों के सिवाय कार्रवाइयों को लागू होंगे।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए वादी और प्रतिवादी के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः प्रतिदावे में वादी और प्रतिदावे में प्रतिवादी के प्रति निर्देश है।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध किसी कार्रवाई या प्रतिदावे को लागू नहीं होंगे यदि प्रतिवादी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को निवेदन करता है या निवेदन करने के लिए सहमत है।

(6) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालय को किसी ऐसे दावे को प्रवृत्त करने के लिए किसी व्यक्तिबंदी कार्रवाई को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जिसको इस धारा के उपबंध लागू होते हैं जब कभी उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी होती है और अधिकारिता के बाहर आदेशिका के तामील संबंधी तत्समय प्रवृत्त कोई विधि लागू होगी।

**8. जलयान के विक्रय पर अधिकारों का निहित होना**—इस अधिनियम के अधीन जलयान के विक्रय पर उच्च न्यायालय द्वारा अपनी नावधिकरण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए जलयान सभी विल्लंगमों, धारणाधिकारों, कुर्की, रजिस्ट्रीकृत बंधकों और जलयान पर उसी प्रकृति के प्रभारों से मुक्त क्रेता में निहित हो जाएगा।

**9. समुद्री धारणाधिकार पर परस्पर अग्रता**—(1) प्रत्येक समुद्री धारणाधिकार की परस्पर पूर्विकता निम्नलिखित आदेश के अनुसार होगी, अर्थात्:—

(क) जलयान पर उनके नियोजन की बाबत जलयान के पूरक के मास्टर, अधिकारियों और अन्य सदस्यों को शोध्य मजदूरी और अन्य राशियों, जिनके अंतर्गत स्वदेश वापसी का खर्च और उनकी ओर से संदेय सामाजिक बीमा के अभिदाय भी हैं, के लिए दावे;

(ख) जलयान के प्रचालन के प्रत्यक्ष संबंध में होने वाली जीवन हानि या वैयक्तिक नुकसानी चाहे वह भूमि पर हों या जल में, के संबंध में दावे

(ग) जलयान की उद्धारण सेवाएं जिनके अंतर्गत उनसे संबंधित विशेष प्रतिकर भी हैं, के लिए पारिश्रमिक के लिए दावे;

(घ) पत्तन, नहर और अन्य जलमार्ग के शोध्यों और यान मार्गदर्शन शोध्यों तथा जलयान से संबंधित कोई अन्य कानूनी शोध्यों के लिए दावे;

(ङ) जलयान पर किए गए स्थोरा और आधानों की हानि या नुकसान से भिन्न जलयान के प्रचालन द्वारा कारित हानि या नुकसान से उद्भूत अपकृत्य पर आधारित दावे ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समुद्री धारणाधिकार स्वामित्व के या रजिस्ट्रीकरण के या ध्वज के किसी परिवर्तन के होते हुए भी जलयान पर निरंतर विद्यमान रहेगा और एक वर्ष की अवधि के अवसान पर तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक कि ऐसी अवधि के अवसान के पहले, जिस जलयान को बंदी बनाया गया हो या अभिग्रहण किया गया हो या ऐसे बंदी बनाए जाने या उसका अभिग्रहण करने का परिणाम उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य विक्रय न हो:

परन्तु उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी दावे के लिए, अवधि उस तारीख से, जिसको स्वदेश वापसी की मजदूरी, राशि, खर्च या सामाजिक बीमा, अभिदाय, देय होता है या संदेय हो जाता है, दो वर्ष होगी ।

(3) इस धारा में निर्दिष्ट समुद्री धारणाधिकार—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन समुद्री धारणाधिकार के संबंध में जलयान से दावेदार को उन्मोचन पर;

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) से खंड (ङ) के अधीन समुद्री धारणाधिकार के संबंध में दावा उत्पन्न होने के समय प्रारंभ होगा,

और किसी निलंबन या हस्तक्षेप के बिना निरन्तर चालू रहेगा—

परन्तु वह अवधि जिसके दौरान जलयान बंदी बनाया गया था या अभिग्रहण किया गया था अपवर्जित की जाएगी ।

(4) किसी समुद्री धारणाधिकार दावे को प्रतिभूत करने के लिए ऐसे जलयान से लगा हुआ होगा जो निम्नलिखित से उद्भूत होता है या जिसका परिणाम निम्नलिखित है:—

(क) समुद्र द्वारा तेल या अन्य परिसंकटमय या अपायकर पदार्थों के वहन के संबंध में ऐसी नुकसानी जिसके लिए प्रतिकर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में दावेदारों को संदेय है;

(ख) रेडियो एक्टिव गुण या नाभिकीय ईंधन या रेडियो एक्टिव उत्पाद या अपशिष्ट के विषैले, विस्फोटक या अन्य परिसंकटमय गुणों वाले रेडियो एक्टिव गुण या रेडियो एक्टिव गुणों का संयोजन ।

**10. समुद्री दावों की पूर्विकता का क्रम—**(1) नावधिकरण विषयक कार्यवाहियों में पारस्परिक पूर्विकता का अवधारण करने वाले समुद्री दावों का अनुक्रम निम्नानुसार होगा—

(क) जहां समुद्री धारणाधिकार है वहां किसी जलयान पर दावा;

(ख) जलयान पर उसी प्रकृति के रजिस्ट्रीकृत बंधक और प्रभार;

(ग) अन्य सभी दावे ।

(2) निम्नलिखित सिद्धांत पारस्परिक दावों की पूर्विकता का अवधारण करने में लागू होंगे—

(क) यदि पूर्विकता के किसी एकल प्रवर्ग में एक से अधिक दावे हैं, वे समान होंगे;

(ख) विभिन्न उद्धारण सेवाओं के लिए दावों को समय के विपरीत क्रम में तब पंक्तिबद्ध किया जाएगा जब उनसे दावे प्रोद्भूत होते हैं ।

**11. बन्दी बनाए गए जलयान का स्वामी, पट्टांतरण प्रबंधक या प्रचालक कर्मीदल की सुरक्षा—**(1) उच्च न्यायालय, जलयान के बन्दी बनाए जाने या पहले से बन्दी बनाए गए जलयान को बनाए रखे जाने के लिए अनुज्ञा देने के लिए ऐसे दावाकर्ता पर, जो बन्दी बनाए जाने की वांछा करता है या जिसने जलयान के बन्दी बनाए जाने को उपाप्त किया है, नुकसानियों के रूप में ऐसी धनराशि या ऐसी किसी रकम के लिए उस प्रकार की ऐसी प्रतिभूति का संदाय करने की अशर्त वचनबंध देने की बाध्यता को एक शर्त के रूप में और ऐसे निबंधनों पर, जो ऐसी किसी हानि या नुकसानी के लिए, जो बन्दी बनाए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिवादी द्वारा उपगत की जाए, के लिए और

जिसके लिए दावाकर्ता निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए किन्तु, जो निम्नलिखित तक निर्बन्धित नहीं है, दायी पाया जाए उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाएंगे, अर्थात्:—



(क) बंदी बनाया जाना दोषपूर्ण या अन्यायपूर्ण होने पर; या

(ख) अत्यधिक प्रतिभूति की मांग किए जाने पर और दिए जाने पर।

(2) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में, प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति किसी भी समय उच्च न्यायालय को उन पर्याप्त कारणों के लिए, जो आवेदन में कथित किए जाएं, प्रतिभूति में कमी, उपांतरण या रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) यदि स्वामी या पट्टांतरण चार्टरर जलयान को बंदी बनाए जाने के पश्चात् उसे परित्यक्त करता है, उच्च न्यायालय ऐसी रीति में, जो न्यायालय ठीक समझे, बन्दी बनाए जाने या परित्याग किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर जलयान की नीलामी करवाएगा और आगमों को विनियोजित कराएगा तथा कार्रवाई करवाएगा:

परन्तु उच्च न्यायालय उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, जलयान की नीलामी की अवधि को तीस दिन की और अवधि तक बढ़ा सकेगा।

### अध्याय 3

#### प्रक्रिया और अपील

**12. सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना**—उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक कि वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत या उसके प्रतिकूल नहीं हों।

**13. असेसरों की सहायता**—(1) केन्द्रीय सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा नावधिकरण विषयक और समुद्री विषयों में अर्हताओं और अनुभव वाले असेसरों की सूची और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति, उनको संदत्त की जाने वाली फीस और अन्य प्रासंगिक या आनुषंगिक विषय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नियत करेगी।

(2) निर्धारणकर्ताओं की नियुक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी नावधिकरण विषयक कार्यवाही में किसी पक्षकार के द्वारा विशेषज्ञ साक्षी की परीक्षा का वर्जन है।

**14. अपील**—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश से कोई अपील उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ को होगी।

**15. उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों का अंतरण**—उच्चतम न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन पर, किसी नावधिकरण विषयक कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम पर, एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित कर सकेगा और पश्चात्कथित उच्च न्यायालय उस मामले का विचारण, सुनवाई और अवधारण करने के लिए उस प्रक्रम से अग्रसर होगा, जिस पर वह अंतरण के समय था :

परन्तु यह कि ऐसी कोई कार्यवाही तब तक अंतरित नहीं की जाएगी जब तक कि कार्यवाही के पक्षकारों को इस विषय में सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

### अध्याय 4

#### प्रकीर्ण

**16. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम निम्नलिखित सभी मामलों या उनमें से किसी मामले के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारणकर्ताओं की अर्हता, अनुभव, कर्तव्यों की प्रकृति और संदत्त की जाने वाली फीस तथा अन्य प्रासंगिक या आनुषंगिक विषय;

(ख) इस अधिनियम के अधीन नावधिकरण अधिकारिता का व्यवहार और प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत ऐसी कार्यवाहियों में फीस, लागत और व्यय भी है; और

(ग) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन नियम बनाए जाने तक उच्च न्यायालयों में नावधिकरण विषयक अधिकारिता के प्रयोग को शासित करने वाले तत्समय प्रवृत्त सभी नियम लागू होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि इस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल नहीं पड़ेगा।

**17. निरसन और व्यावृत्तियां**—(1) भारत में लागू निम्न अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है—

(क) नावधिकरण न्यायालय अधिनियम, 1840 (3 और 4 विक्टोरिया, अ० 65) ;

(ख) नावधिकरण न्यायालय अधिनियम, 1861 (24 और 25 विक्टोरिया, अ० 10) ;

(ग) नावधिकरण विषयक उपनिवेशक न्यायालय अधिनियम, 1890 (53 और 54 विक्टोरिया अ० 27) ;

(घ) नावधिकरण विषयक उपनिवेशक न्यायालय (भारत) अधिनियम, 1891 (1891 का 16); और

(ङ) लेटर्स पेटेंट अधिनियम, 1865 के उपबंध, जहां तक वे बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों की नावधिकरण अधिकारिता को लागू होते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय में लंबित सभी नावधिकरण विषयक कार्यवाहियां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत होती रहेंगी।

(3) निरसित अधिनियमितियों के उपबंधों के अधीन की गई किसी बात या की जाने वाली कोई कार्रवाई जहां तक कि ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानों उक्त उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे, जब ऐसे बात की गई या ऐसी कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक बने रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई ऐसी बात या की गई कोई कार्रवाई अधिक्रांत नहीं कर दी जाती है।

(4) निरसित अधिनियमितियों के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, उप-विधि या जारी आदेश या सूचना जहां तक कि वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं, के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किए गए हैं।

**18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।